बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,

झाँसी

कार्य परिषद् की बैठक

दिनांक 28.06.2021

की कार्यवाही

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28.06.2021 अपराह्न 12:30 बजे की कार्यवाही एवं सदस्यों की उपस्थिति–

1. प्रो0 जे0 वी0 वैशम्पायन	कुलपति / अध्यक्ष
2. प्रो. शिवकुमार कटियार	प्रति–कुलपति
3. प्रो0 सुनील काबिया	आचार्य / सदस्य
4. प्रो0 सी0बी0सिंह	संकायाध्यक्ष–कला / सदस्य
5. डा0नीलम कुमार सिंह	संकायाध्यक्ष–कृषि
6. प्रो0 देवेश निगम	आचार्य / सदस्य
7. डा0 आलोक वर्मा	सह आचार्य / सदस्य
8. डा0 सौरभ श्रीवास्तव	सह आचार्य / सदस्य
9. डा0 अचला पाण्डेय	सहायक आचार्य / सदस्य
10. डा0मंजूषा श्रीवास्तव	प्राध्यापक / सदस्य
11. डा0 ए0के0अग्रवाल	प्राध्यापक / सदस्य
12. प्रो. एम. एम. सिंह	विशेष आमंत्रित सदस्य
13. श्री अनिल कुमार दीक्षित	वित्त अधिकारी
14. श्री नारायण प्रसाद	कुलसचिव / सचिव

कार्यवाही –

सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुये परिषद् को सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 14 के अंतर्गत प्रो. शिव कुमार कटियार – विभागाध्यक्ष, फूड टेक्नोलॉजी विभाग को अग्रिम आदेशों तक विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आज की बैठक में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया जिसके पश्चात प्रो. कटियार बैठक में सम्मिलित हुये। परिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा प्रो. कटियार को प्रति कुलपति नियुक्त होने पर बधाई दी जिस पर प्रो. कटियार द्वारा परिषद् के सदस्यों का धन्यवाद किया गया।

1. **कार्य परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 26.03.2021 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।**

परिषद् द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 26.03.2021 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की।

2. **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17.06.2021 एवं दिनांक 26.06.2021 की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से परीक्षा समिति की बैठकों दिनांक 17.06.2021 एवं दिनांक 26.06.2021 की कार्यवाहियों का अनुमोदन निम्नवत प्रदान किया गया।

बिन्दु 1. परीक्षा समिति की गत बैठक की कार्यवाही दिनांक 17/06/2021 की सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णय 1. दिनांक 24.06.2021 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम परीक्षा समिति की गत बैठक दिनांक 17/06/2021 की कार्यवाही में परम्परागत पाठयक्रमों में अनिवार्य विषयों की 2:00 घण्टे के स्थान पर 60 प्रश्नों की 1:30 घंण्टे की

बहुविकल्पीय ओ0एम0आर0 आधारित परीक्षा होगी एवं यदि आवश्यक विषय एक से अधिक हैं तो 30 प्रश्नों की 1:00 घंण्टे की बहुविकल्पीय ओ0एम0आर आधारित परीक्षा होगी साथ ही आब्सनल पेपरों की परीक्षा सम्पन्न नहीं करायी जायेगी, ऐसे प्रश्नपत्रों में अनिवार्य विषय के आधार पर औसत अंक प्रदान किये जायेंगे। उक्त आवश्यक संशोधनों के साथ परीक्षा समिति द्वारा सम्पुष्टि की गई।

बिन्दु 2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 1200/सत्तर–3–2021–08(20)/2020 दिनांक 08.06.2021 के क्रम में सत्र 2020–2021 में कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली एवं वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम के स्नातक /परास्नातक कक्षाओं के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत किये जाने/परीक्षायें आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2021 को आहूत संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/पाठ्यक्रम समन्वयकों की बैठक के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय 2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 1200/सत्तर–3–2021–08(20)/2020 दिनांक 08.06.2021 के क्रम में सत्र 2020–2021 में कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली एवं वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम के स्नातक /परास्नातक कक्षाओं के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत किये जाने/परीक्षायें आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2021 को आहूत संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/पाठ्यक्रम समन्वयकों की बैठक में की गयी संस्तुतियों का परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

दिनांक 25.06.2021 को दोपहर 12.00 बजे आहूत संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/पाठ्यक्रम समन्वयकों की बैठक की कार्यवाही

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–03 द्वारा शासनादेश संख्याः1200/सत्तर–03–2021–08 (20) /2020 दिनांक 08.06.2021 के क्रम में सत्र 2020–2021 में कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अगली कक्षा/सेमेस्टर में प्रोन्नत किये जाने/परीक्षायें आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25–06–2021 को विश्वविद्यालय सभागार में बैठक आहूत की गई। बैठक मे निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1.प्रो. जे0वी0 वैशम्पायन	– कुलपति/अध्यक्ष
2प्रो. एस0 के0 कटियार	– संकायाध्यक्ष – अभियंत्रिकी
3.प्रो0 सी0बी0 सिंह	– संकायाध्यक्ष – कला
4.प्रो0 एम0एम0 सिंह	– संकायाध्यक्ष – विज्ञान
5.प्रो0 प्रतीक अग्रवाल	– संकायाध्यक्षों – वाणिज्य
6.डॉ. एल0सी0 साहू	– संकायाध्यक्ष – विधि
7.श्री अजय कृष्ण यादव	– परीक्षा नियंत्रक
8.प्रो0 एस. पी. सिंह	– विभागाध्यक्ष भूगर्भ विज्ञान
9.प्रो0 पूनम पूरी	– विभागाध्यक्ष व्यापार प्रशासन
10.डॉ0 आलोक वर्मा	–विभागाध्यक्ष गणितीय एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग विभाग
11.डॉ0पुनीत बिसारिया	– विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग
12.डॉ.प्रशान्त मिश्रा	– समन्वयक विधि विभाग
13.डॉ जे.पी.यादव	– समन्वयक जन्तु विज्ञान विभाग
14.डॉ0उमेश कुमार	– समन्वयक पत्रकारिता विभाग
15.डॉ0सुरेन्द्र कुमार वर्मा	– समन्वयक भौतिक विज्ञान विभाग
16.डॉ0 धीरेन्द्र कुमार शर्मा	– समन्वयक बी.एस.सी. परम्परागत पाठ्यक्रम
17.डॉ0 अनूप कुमार	– समन्वयक समाज कार्य विभाग

18.नेहा जैन – समन्वयक अभियंत्रिकी इन्स्ट्रूमेन्टेशन विभाग
19.श्री नीरज गुप्ता – समन्वयक आर्कीटेक्चर विभाग
20.ई. बृजेन्द्र शुक्ला – अभियंत्रिकी ऐकेडमिक
21ई. रवि कुमार – समन्वयक अभियंत्रिकी फूड टेक्नोलाजी
22.श्री सत्येन्द्र सिंह – समन्वयक बी.पी.टी.
23.डॉ. राजकुमार वर्मा – समन्वयक वनस्पति विज्ञान विभाग
24.डॉ. जोस मैथ्यूस – समन्वयक बायेटेक्नोलाजी
25.डॉ. विजय कुमार यादव – समन्वयक प्रतिनिधि फौरंसिक विज्ञान
26.डॉ. पंकज कुमार सागर – समन्वयक माईक्रोबायोलाजी
27.ई. सादिक खान – समन्वयक कम्प्यूटर इ. विभाग
28.ई. विशाल आर्य – समन्वयक मैकेनिकल विभाग
29ई. मनीष कुमार – समन्वयक बायेकैमेस्ट्री विभाग
30.डॉ. बलबीर सिंह – समन्वयक बायोमेडिकल विभाग
31.डा.स्मृति त्रिपाठी – समन्वयक पर्यावरण विज्ञान विभाग
32.डॉ एस. के. जैन – समन्वयक फार्मेसी
32.डॉ. रितु सिंह – समन्वयक पुस्तकालय विज्ञान विभाग
33.डॉ. अरती वर्मा – समन्वयक ललित कला द्वारा नामित प्रतिनिधि
34.डा. सुनील कुमार त्रिवेदी – समन्वयक शिक्षा संस्थान
35.डॉ. चित्रा गुप्ता – समन्वयक रसायन विज्ञान विभाग
36.डॉ0प्रतिभा आर्य – समन्वयक गृह विज्ञान विभाग
37.डॉ0साहीमा परवीन – विभागाध्यक्ष कृषि द्वारा नामित प्रतिनिधि
38.डॉ स्वपना सक्सेना – समन्वयक शारिरिक शिक्षा संस्थान
39.डॉ0दीपक तोमर – सिस्टम ऐनालिस्ट विशेष आमंत्रित सदस्य

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया गया:–

1. व्यवसायिक पाठयक्रम एवं सेमेस्टर पद्धति के अन्तर्गत संचालित पाठयक्रम के छात्र/छात्राओं का अगली कक्षा में प्रोन्नति/परीक्षाओं का आयोजन।
2. व्यावसायिक पाठयक्रम के वार्षिक/सेमेस्टर की लम्बित बैक पेपर की परीक्षाओं का आयोजन ।

समिति द्वारा निम्न संस्तुतियां की गयी:–

1. वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित व्यावसायिक पाठयक्रम के प्रथम वर्ष के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाए तथा वर्ष 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किये जाएं।

2. वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित त्रिवर्षीय/चतुर्थ वर्षीय व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रथम वर्ष के अतिरिक्त शेष वर्ष के छात्रों की परीक्षा सम्पन्न करायी जाए।

3. सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित व्यावसायिक पाठयक्रम के केवल अन्तिम सेमेस्टर की परीक्षा सम्पन्न करायी जाए तथा द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम सेमेस्टर के छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाए तथा उनके द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम सेमेस्टर के सैद्धान्तिक/आन्तरिक/प्रायोगिक अंकों का निर्धारण फरवरी/मार्च 2021 में आयोजित प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाए।

4. परीक्षा बहुविकल्पीय एवं ओ0एम0आर0 आधारित करायी जाए। स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों को सम्मिलित करके समानुपातिक रूप में 60 प्रश्न (गणित विषय में 50 प्रश्न) का एक प्रश्नपत्र बनाया जाए जो प्रश्नपत्रवार अलग–2 खण्ड में विभाजित हों। सभी खण्ड से समस्त प्रश्नों को हल करना अनिवार्य हो।

5. दो अनिवार्य प्रश्नपत्र को सम्मिलित करके एक प्रश्नपत्र बनाये जाने की दशा में प्रत्येक प्रश्नपत्र से 30–30 प्रश्न सम्मिलित करके एक प्रश्नपत्र (गणित विषय में प्रत्येक प्रश्नपत्र से 25–25 प्रश्न) की 1:30 घण्टा की बहुविकल्पीय एवं ओ0एम0आर0 आधारित परीक्षा करायी जाए।

6. दो–2 अनिवार्य प्रश्नपत्रों को सम्मिलित करके एक प्रश्नपत्र बनाये जाने के उपरान्त यदि कोई एक प्रश्नपत्र शेष रहता है तो उस प्रश्नपत्र की 30 प्रश्न की 1:00 घण्टा की बहुविकल्पीय एवं ओ0एम0आर0 आधारित परीक्षा करायी जाए।

7. जिन पाठ्यक्रमों में लघु शोध प्रबन्ध का प्रावधान है उनके लघु शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन की प्रक्रिया परिनियमों में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

8. प्रत्येक प्रश्नपत्र खण्डवार जम्बलिंग (Jumbling) करके यथा सम्भव चार सेट में बनाया जाए।
9. स्नातक/परास्नातक पाठयक्रम के प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा के अंकों का निर्धारण सम्बन्धित विषय/पाठ्यक्रम के लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों के औसत अंक के आधार पर किया जाए। फिजियोथेरेपी, आर्कीटेक्चर एवं फाइन आर्ट की प्रायोगिक परीक्षायें सम्पन्न करायी जाएं।
10.वार्षिक/सेमेस्टर की लंबित बैक पेपर की परीक्षायें वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं के पश्चात करायी जाएं।
11.परीक्षा की अवधि सामान्यतया 1:30 घण्टा निर्धारित की जाए। प्रश्नपत्र में प्रश्नों की संख्या 30 होने पर परीक्षा की अवधि एक (01) घण्टा निर्धारित की जाए।
12.शासन के मार्ग निर्देशानुसार कोविड– 19 वैश्विक महामारी के कारण एवं अगस्त 2021 के मध्य तक समस्त परीक्षायें सम्पन्न करा लिये जाने के दृष्टिगत परीक्षा तीन पाली में (09:00 AM to 10:30 AM, 12:00PM to 01:00 PM, 02:00 PM to 03:30 PM) सम्पन्न करा ली जाए।
13.बी.टेक., एल.एल.बी. एवं एम.बी.ए. पाठ्यकमों की समस्त सेमेस्टर की परीक्षायें आयोजित कराये जाने हेतु उनकी नियामक संस्था द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में पृथक से विचार करके निर्णय लिया जाए।
14.परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक/सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रश्नपत्र रचना हेतु विभागाध्यक्ष/पाठ्यक्रम समन्वयक को इस निर्देश के साथ अधिकृत किया गया है कि वह अपने विभाग में संचालित प्रत्येक पाठयक्रम के अनिवार्य प्रश्नपत्रों का 30–30 प्रश्न का बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र अपने स्तर से तैयार करा लें। दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों को एक साथ सम्मिलित करते हुये कुल 60 प्रश्न का एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र टंकित कराकर तैयार करा लें जो प्रश्नपत्रवार अलग–2 खण्ड में विभाजित होंगे जिसके प्रथम खण्ड में क्रम 1–30 तक के प्रश्न तथा द्वितीय खण्ड में 31–60 तक के प्रश्न सम्मिलित होंगे। परीक्षा बहुविकल्पीय एवं ओ0एम0आर0 आधारित होगी। सम्बन्धित पाठयक्रम में अध्ययनरत छात्रों की संख्या (10 के गुणांक) के अनुरूप प्रश्नपत्र तैयार कराकर शील्ड लिफाफे में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के अति गोपनीय विभाग में हस्तगत कराये जायें। शील्ड प्रश्नपत्र के साथ प्रश्नपत्र की उत्तर कुंजी अलग से शील्ड लिफाफे में उपलब्ध करायी जाए।
15.कोविड–19 महामारी के कारण सत्र 2020–21 की परम्परागत कक्षाओं का संचालन न होने के कारण समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अपेक्षित अनिवार्य उपस्थिति पूर्ण न करने के आधार पर छात्र/छात्राओं को परीक्षा से वंचित न किया जाए। परीक्षा हेतु आवेदन पत्र पूरित करने वाले समस्त छात्र/छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए। यह व्यवस्था केवल वर्तमान सत्र के लिये मान्य है।

3. **कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 17.03.2020 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पूर्व से संचालित महाविद्यालयों को बिना नैक मूल्यांकन के नवीन पाठ्यक्रमों में अनापत्ति प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में लगायी गई रोक पर पुनर्विचार परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।**

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 17.03.2020 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पूर्व से संचालित महाविद्यालयों को बिना नैक मूल्यांकन के नवीन पाठ्यक्रमों में अनापत्ति प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में लगायी गई रोक पर पुनर्विचार करने हेतु विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुये परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि नैक नियम पुस्तिका में उल्लिखित नियमों के अनुसार ऐसे महाविद्यालयों को जिनके कम से कम छात्रों के दो बैच उत्तीर्ण हुये हों अथवा जो छह वर्षों से अस्तित्व में हो, इनमें से जो भी पहले हो, को नवीन पाठ्यकमों में अनापत्ति हेतु नैक मूल्यांकन से छूट प्रदान की जाती है।

4. **शासन के पत्र संख्या–183/सत्तर–5–2021–04/2021 दिनांक 20 जनवरी 2021 एवं पत्र संख्या–850/सत्तर–5–2020–04/2021 दिनांक 25 मार्च 2021 के द्वारा प्रदेश में नवनिर्मित एवं निर्माणधीन महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत संघटक महाविद्यालय (Constituent**

College) के रूप में चलाने के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति की संस्तुति परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

शासन के पत्र संख्या–183/सत्तर–5–2021–04/2021 दिनांक 20 जनवरी 2021 एवं पत्र संख्या–850/सत्तर–5–2020–04/2021 दिनांक 25 मार्च 2021 के द्वारा प्रदेश में नवनिर्मित एवं निर्माणधीन महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत संघटक महाविद्यालय (Constituent College) के रूप में चलाने के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति की संस्तुति का परिषद् द्वारा अवलोकन करते हुये सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों को शासन को संदर्भित कर दिया जाये।

5. **प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1286/सत्तर–3–2021 दिनांक 17 जून 2021 द्वारा कोविड एवं नॉन कोविड से मृत अधिकारियों / कर्मचारियों के आश्रितों को प्रदान की गई नियुक्ति एवं उनके समस्त देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में सूचित किया गया है। उपर्युक्त पत्र परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1286/सत्तर–3–2021 दिनांक 17 जून 2021 द्वारा कोविड एवं नॉन कोविड से मृत अधिकारियों / कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुये नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही कराने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

6. **प्रो. सुनील काबिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव EARN-WHILE-YOU-LEARN and CAMPUS INTERNSHIP SCHEME को वर्ष 2021–22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा प्रो. सुनील काबिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव EARN-WHILE-YOU-LEARN and CAMPUS INTERNSHIP SCHEME को वर्ष 2021–22 से यथावत लागू किये जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

7. **प्रो. सुनील काबिया, आचार्य, पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन विभाग को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु0वि0/प्रशा0/2021/10604–13 दिनांक 22.05.2021 के द्वारा परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय का अधिष्ठाता (छात्र कल्याण) नामित किया गया है। अतः उपर्युक्त पत्र परिषद् के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा प्रो. सुनील काबिया आचार्य, पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन विभाग को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु0वि0/प्रशा0/2021/10604–13 दिनांक 22.05.2021 द्वारा अधिष्ठाता (छात्र कल्याण) नियुक्त किये जाने की सूचना से अवगत होते हुये अनुमोदन किया।

8. **विश्वविद्यालय में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों की ए.सी.पी. के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार।**

परिषद के समक्ष विश्वविद्यालय में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों की ए.सी.पी. के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा की गई संस्तुतियों का बन्द लिफाफा खोला गया। समिति के अध्यक्ष द्वारा परिषद् के समक्ष विस्तार से बताया गया कि विभिन्न सम्बन्धित शासनादेशों के आलोक में संस्ततियाँ तैयार की गई हैं जिस पर परिषद् द्वारा सम्यक विचारोपरान्त परिषद द्वारा समिति द्वारा की गई संस्तुतियों का अनुमोदन प्रदान करते हुये कुलसचिव को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

इसके अतिरिक्त डा. दीपक तोमर सिस्टम एनालिस्ट के प्रकरण में यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि सिस्टम एनालिस्ट को प्राप्त वेतनमान पर ए.सी.पी. का शासनादेश लागू नहीं होता है तथापि ए.सी.पी. के

समान ही 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा होने पर अगला वेतनमान, 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा होने पर द्वितीय वेतनमान तथा 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा होने पर तृतीय वेतनमान प्रदान किया जाये। तदनुसार ए.सी.पी. के लिये गठित समिति इस पर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करें।

9. **राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या–ई–3354/जी.एस. दिनांक 28 मई 2021 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2021/10655–62 दिनांक 02.06.2021 के द्वारा महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय में पूर्व से स्थापित Women Learning/Activity Centre को पुर्नस्थापित किया गया है। उपर्युक्त पत्र परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या–ई–3354/जी.एस. दिनांक 28 मई 2021 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2021/10655–62 दिनांक 02.06.2021 के द्वारा महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय में पूर्व से स्थापित Women Learning/Activity Centre को पुर्नस्थापित किये जाने की सूचना से अवगत हुई तथा अनुमोदन प्रदान किया।

10. **प्रो. रोचना श्रीवास्तव – सेवा निवृत्त आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, की पेंशन के प्रकरण पर विचार।**

प्रो. रोचना श्रीवास्तव – सेवा निवृत्त आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, की पेंशन के प्रकरण पर परिषद् द्वारा विचार किया गया जिसमें परिषद् द्वारा यह सहमति बनी कि प्रो. रोचना श्रीवास्तव को पेंशन एवं ग्रेच्युटी प्रदान की जा सकती है परन्तु वह बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में अपना पेंशन का अंशदान जमा करेंगी क्योंकि उनकी पूर्व संस्था से पेंशन अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है तथा यहाँ उनकी सेवायें 10वर्ष से कम हैं। इस सम्बन्ध में पेंशन अनुदान की गणना करते हुये प्रो. रोचना श्रीवास्तव से भुगतान हेतु सहमति प्राप्त की जाये। इस हेतु शासन को पत्र भेजकर उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

11. **श्री गजेन्द्र कुमार – अनिवार्य सेवा निवृत्त, वरिष्ठ सहायक के प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2021/19848–54 दिनांक 18.06.2021 परिषद् के अवलोकन हेतु प्रस्तुत।**

श्री गजेन्द्र कुमार – अनिवार्य सेवा निवृत्त, वरिष्ठ सहायक के प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2021/19848–54 दिनांक 18.06.2021 परिषद् के अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया। परिषद् द्वारा पत्र का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान की गई।

12. **विश्वविद्यालय में शासन द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक पदों हेतु रोस्टर का निर्धारण किये जाने के लिये गठित समिति की आख्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न नियमित विभागों में शासन द्वारा स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नवत है–

कम	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे हुये पद	रिक्त पद
1.	आचार्य	08	01	07
2.	सह आचार्य	16	09	07
3.	सहायक आचार्य	32	22	10

उपर्युक्त पदों पर कार्यालय द्वारा रोस्टर की व्यवस्था निर्धारित करते हुये पत्रावली प्रस्तुत की गई जिस पर उक्त रोस्टर के परीक्षण एवं जॉच हेतु कुलपति द्वारा निम्नलिखित तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया–

1. प्रो. शिवकुमार क्रटियार – संकायाध्यक्ष, इंजीनियरिंग।
2. प्रो. पूनम पुरी – विभागाध्यक्ष, व्यापार प्रशासन विभाग।
3. प्रो. एम. एम. सिंह – संकायाध्यक्ष, विज्ञान

उपर्युक्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में शासन द्वारा शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर निम्नवत् रोस्टर प्रस्तुत किया गया है –

कमांक	विभाग का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पद	नयी रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षित पद की श्रेणी
1	खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग	आचार्य	01	SC
2	गणितीय विज्ञान एवं कम्प्यू0 अनु0 प्रयोग विभाग	आचार्य	01	UR
3	पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन विभाग	आचार्य	01	OBC
4	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग	आचार्य	01	UR
5	बैकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग	आचार्य	01	SC
6	भूगर्भ विज्ञान विभाग	आचार्य	01	UR
7	व्यापार प्रशासन विभाग	आचार्य	01	OBC
8	हिन्दी विभाग	आचार्य	01	UR
	कुल योग		08	

* SC = अनुसूचित जाति, UR =अनारक्षित, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS= आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

सह आचार्य के पदों का विवरण

कमांक	विभाग का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पद	आरक्षित पद का विवरण
1	खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग	सह आचार्य	01	SC
		सह आचार्य	01	UR
2	गणितीय विज्ञान एवं कम्प्यू0 अनु0 प्रयोग विभाग	सह आचार्य	01	OBC
		सह आचार्य	01	UR
3	पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन विभाग	सह आचार्य	01	SC
		सह आचार्य	01	UR
4	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग	सह आचार्य	01	OBC
		सह आचार्य	01	UR
5	बैकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग	सह आचार्य	01	OBC
		सह आचार्य	01	EWS
6	भूगर्भ विज्ञान विभाग	सह आचार्य	01	SC
		सह आचार्य	01	UR

7	व्यापार प्रशासन विभाग	सह आचार्य	01	OBC
		सह आचार्य	01	UR
8	हिन्दी विभाग	सह आचार्य	01	SC
		सह आचार्य	01	UR
	कुल योग		16	

* SC = अनुसूचित जाति, UR =अनारक्षित, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS= आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

सहायक आचार्य के पदों का विवरण

कमांक	विभाग का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पद	आरक्षित पद का विवरण
1	खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग	सहायक आचार्य	01	SC
		सहायक आचार्य	01	UR
		सहायक आचार्य	01	OBC
		सहायक आचार्य	01	UR
2	गणितीय विज्ञान एवं कम्प्यू0 अनु0 प्रयोग विभाग	सहायक आचार्य	01	SC.
		सहायक आचार्य	01	UR
		सहायक आचार्य	01	OBC
		सहायक आचार्य	01	UR
3	पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन विभाग	सहायक आचार्य	01	OBC
		सहायक आचार्य	01	EWS
		सहायक आचार्य	01	SC
		सहायक आचार्य	01	UR
4	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग	सहायक आचार्य	01	OBC
		सहायक आचार्य	01	UR
		सहायक आचार्य	01	SC
		सहायक आचार्य	01	UR
5	बैकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग	सहायक आचार्य	01	OBC
		सहायक आचार्य	01	UR
		सहायक आचार्य	01	OBC
		सहायक आचार्य	01	EWS
6	भूगर्भ विज्ञान विभाग	सहायक आचार्य	01	SC
		सहायक आचार्य	01	UR
		सहायक आचार्य	01	OBC
		सहायक आचार्य	01	UR
7	व्यापार प्रशासन विभाग	सहायक आचार्य	01	SC
		सहायक आचार्य	01	UR
		सहायक आचार्य	01	OBC
		सहायक आचार्य	01	UR
8	हिन्दी विभाग	सहायक आचार्य	01	OBC
		सहायक आचार्य	01	EWS
		सहायक आचार्य	01	SC
		सहायक आचार्य	01	UR
	कुल योग		32	

* SC = अनुसूचित जाति, UR =अनारक्षित, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS= आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से उपर्युक्त रोस्टर का अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त परिषद् के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त विभिन्न विभागों के नियमित पदों को इस रोस्टर में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा विस्तृत चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे पदों को रोस्टर में सम्मिलित न किया जाये। इस सम्बन्ध में कार्यवाही कराने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

13. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।

(1) स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विभाग में रिक्त पदों जिनका विज्ञापन किया जाना है उन पर रोस्टर/आरक्षण निर्धारित करते हुये विज्ञापित किया जायेगा।

28.6.21

(नारायण प्रसाद)
कुलसचिव

28/06/21

(प्रो. जे. वी. वैशम्पायन)
कुलपति